तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 211/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/365) बअनवान जमालदीन बनाम मुसेखां इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

जमालदीन

बनाम

मुसे खॉ इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 3

आदेश

दिनांक 03.04.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2022 अनवान मुसे खॉ व अन्य बनाम जमालदीन इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 अगस्त 2024(मूल आदेश दिनांक 17.01.2022) के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पैतृक पुश्तैनी भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा सहखातेदारी की पैत्रिक भूमि में अपीलार्थी को बिना सुने एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। कानूनन एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता। राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के पिता इलमदीन को उनके पिता खुदा बक्स से प्राप्त हुई है अर्थात् पैतृक भूमि है। पैतृक पुश्तैनी भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 211/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/365) बअनवान जमालदीन बनाम मुसेखां इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में मुस्लिम विधि अनुसार एक खातेदार अपने 1/3 हिस्से से अधिक भूमि की वसीयत कानूनन नही कर सकता है। वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से तक की वसीयत विधि अनुसार है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को बिना समझे हिस्से से अधिक सम्पूर्ण खसरों में सम्पूर्ण रकबे ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जो बहाल रखने काबिल नही है। प्रत्यर्थीगण संख्या एक 1 व 2 द्वारा इसी भूमि बाबत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने बाबत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2022 अनवान साले मोहम्मद वगैरा बनाम जमालदीन वगैरा पेश किया था जिसका बाद सुनवाई तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 20-06-2023 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुस्लिम विधि अनुसार सभी खसरो मे 1/3 हिस्सा वसीयतग्रहिता प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 व शेष हिस्सा इलमदीन के अन्य वारिसानों का रखा गया, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। तहसीलदार बाप के निर्णय दिनांक 20-06-2023 के विरुद्ध वर्तमान प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील संख्या 319/2023 अनवान साले मोहम्मद वगैरा बनाम जमालदीन वगैरा पेश की गई जो दिनांक 10-09-2024 को खारिज की गई एवं तहसीलदार बाप का निर्णय यथावत रखा। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 मुस्लिम विधि के विपरीत स्व. इलमदीन के सम्पूर्ण हिस्से पर मालिकाना हक गलत रूप से जता रहे है बल्कि कानूनन इस प्रकरण में गुणावगुण यह निर्धारित हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि के सभी खसरों में 1/3 हिस्सा प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 वसीयतग्रहिता व शेष हिस्सा इलमदीन के अन्य वारिसानों का है। विचारण न्यायालय द्वारा मुस्लिम विधि एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को बिना देखे सम्पूर्ण हिस्से में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भयंकर कानूनी भूल की है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये, लेकिन विचारण न्यायलय द्वारा अपीलार्थी के जवाब देने के उपरान्त भी आज दिन तक धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया है। इस कारण अपीलार्थी के पास में माननीय न्यायालय में अपील पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 जुलाई 2024 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिक्ता के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 211/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/365) बअनवान जमालदीन बनाम मुसेखां इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल में अपील विचाराधीन है। उक्त अपील में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि प्रतीत होती है। तहसीलदार बाप द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2023 के जरिये खातेदार ईलमदीन द्वारा की गई वसीयत को मुस्लिम विधि के प्रावधानोनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वसीयतग्रहिता व वसीयतकर्ता के अन्य पुत्रो व पत्नी के निहित हिस्से अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतीत होता है। तहसीलदार बा पके उक्त आदेश को न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त द्वारा पुष्ट किया जाना प्रतीत होता है। रेस्पोडेंट्स द्वारा माननीय मण्डल में विचाराधीन अपील की वर्तमान स्थिति के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। रेस्पोडेंट्स पृथक से विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 211/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/365) बअनवान जमालदीन बनाम मुसेखां इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाज़ा मामला अंतिम निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे। तब तक अदालत हाजा का आदेश दिनांक 18.09.2024 प्रभावी रहेगा।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर